प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं. 321/2024

विधि का किशोर ने उल्लंघन किया (मूल दस्तावेज में गलत लिखा हुआ है)

विधि का उल्लंघन करने वाला बालक [किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(13)]

..... अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना प्रभारी, थाना अंबिकापुर, जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ़

..... उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : सुश्री निरुपमा बाजपेयी, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य की ओर से : सुश्री सौम्या शर्मा, अधिष्ठित अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

द्वारा- श्री बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश

10/09/2025

1. यह अपील किशोर न्याय बोर्ड/विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम), अंबिकापुर जिला सरगुजा, छ.ग. द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण सं. 60/2018 में पारित दोषीसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को निम्नानुसार दोषसिद्ध और दण्डादेशित किया है:-

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
भा.द.वि. की धारा 376 (क)(ख)	20 वर्ष का सश्रम कारावास और रु. 1,000/- का अर्थदण्ड, व्यतिक्रम शर्त के साथ।

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में, यह है कि 17.06.2018 को, अभियोक्त्री की माता (अ.सा.-03) ने थाना अंबिकापुर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके तीन बालक- दो पुत्र और एक पुत्री, और अभियोक्त्री सबसे बड़ी पुत्री है। 17.06.2018 को सुबह 07:00 बजे, वह अपने बच्चों को छोड़कर मजदूरी का काम करने चली गई और उसका पति भी काम पर चला गया और केवल उसके बालक घर पर थे। दोपहर लगभग 12:00 बजे, उसका पुत्र आया और उसे बताया कि उसकी बहन/अभियोक्त्री रो रही थी और उसके मूत्र मार्ग से रक्त बह रहा था, फिर वह अपने पुत्र के साथ अपने घर आई और देखा कि उसकी पुत्री/अभियोक्त्री रो रही थी और उसके मूत्र मार्ग से रक्त बह रहा था। पूछने पर, उसने बताया कि वह लड़के के साथ खेलने के लिए पड़ोसी के घर गई थी और खेलने के दौरान लड़का अपनी उंगली उसके मूत्र मार्ग में डालने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण उसके मूत्र मार्ग से रक्त बह रहा था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने पति और पड़ोसियों को उक्त तथ्य के बारे में बताया। अभियोक्त्री की माता द्वारा दर्ज की गई उपरोक्त शिकायत के आधार पर, भा.द.वि. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत थाना अंबिकापुर में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.**P**.-06) दर्ज की गई और प्रकरण में अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अन्वेषण के दौरान, नजरी नक्शा (प्र.**P**/1) तैयार किया गया था। अभियुक्त को पकड़ा गया और साक्षियों के कथन पुलिस द्वारा दर्ज किए गए और साथ ही पीड़िता का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित किया गया।

4. अन्वेषण पूर्ण करने के बाद, भा.द.वि. की धारा 376 (क)(ख) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 04 के तहत अपराध के लिए किशोर न्याय बोर्ड अंबिकापुर के समक्ष अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। किशोर न्याय बोर्ड अम्बिकापुर ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अब से 'किशोर न्याय अधिनियम') की धारा 15 के तहत निर्धारित किया कि यह प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड, अम्बिकापुर में विचारण के लिए उपयुक्त है और इसे किशोर न्याय बोर्ड को विचारण के लिए भेजा। जिसके बाद, किशोर न्याय बोर्ड ने विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरूद्ध इस प्रकरण की सुनवाई करने का निर्णय लिया। उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत एक वयस्क के रूप में विचारण की आवश्यकता के आधार पर प्रकरण पर विचार किया गया था। इसके अलावा, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का विचारण एक वयस्क के रूप में किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विचारण न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (क)(ख) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5(**e**)/6 के तहत विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरूद्ध अभियोग-पत्र तैयार किया और उसके पूरा होने पर, तदानुसार अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप विरचित करने के बाद, अपीलार्थी को आरोप पढ़कर समझाया गया। उसने अपराध से इनकार किया और विचारण की मांग की।

6. अपराध को स्थापित करने हेतु अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में 08 साक्षियों का परीक्षण किया है। दण्ढ प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपनी बेगुनाही तथा मामले में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक् किया।

7. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, 16.10.2023 दिनांकित अपने निर्णय द्वारा अपीलार्थी को सिद्धदोष

किया और दण्डादेश दिया, जैसा कि इस निर्णय की प्रथम कण्डिका में उल्लिखित किया है। इसलिए यह अपील की गई है।

8. अपीलार्थी/विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करती हैं कि साक्षियों के कथन विरोधाभासों और चूक से भरे हुए हैं और पुष्टि के अभाव में विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और अभियोजन पक्ष की कहानी संदेह से भरी हुई है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करती हैं कि अपीलार्थी/विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को वर्तमान प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है। वह निवेदन करती हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है और यह उचित संदेह से परे अभियोजन पक्ष के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। वह निवेदन करती हैं कि बिना किसी साक्ष्य के, अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में खराब है। उनके द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि वस्तुतः घटना दिनांक को अपीलार्थी स्वयं अप्राप्तवय था और इसलिए उस पर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विचारण किया जाना चाहिए था, न कि विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष। यहां तक कि इस घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं है। पीड़िता के पिता ने कहा था कि उसे घटना की जानकारी नहीं थी और उसे केवल पीड़िता की माता से ज्ञात हुआ था। पीड़िता की माता ने न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में कहा था कि अगर अपीलार्थी के परिवार ने पीड़िता के इलाज के लिए धन दिया होते, तो वे रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते। विद्वान विचारण न्यायालय ने कोई विश्वसनीय सामग्री या साक्ष्य के बिना अपीलार्थी को सिद्धदोष किया है। इस प्रकार, दोषसिद्धि का निर्णय और दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, इसके विपरीत, यह निवेदन करती हैं कि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम है, जिसे अन्यथा पूरे प्रति-परीक्षण के दौरान चुनौती नहीं दी गई है, साबित हो जाती है। आगे वे निवेदन करती हैं कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध एक जघन्य अपराध है और उक्त अपराध कारित किए जाने के बाद, 2018 के

दिसंबर के महीने में पीड़िता की मृत्यु हो गई, अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और दण्डादेश न्यायसंगत और उचित है और इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप को आमंत्रित नहीं करता है।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके ऊपरोक्त तर्क-वितर्कों पर विचार किया है और विद्वान विचारण न्यायालय के मूल अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से परिशीलन किया है।

11. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घटना के समय पीड़िता अप्राप्तवय थी। यह भी उल्लेखनीय है कि कथित घटना के छह माह बाद पीड़िता की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण उसकी माता और पिता का साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाता है। आयु के संबंध में, अभियोक्त्री (अ.सा.-01) के पिता ने अपने परीक्षण में कहा है कि घटना के समय उसकी पुत्री 10 साल की थी। अभियोक्त्री की माता (अ.सा.-03) ने भी अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के समय अभियोक्त्री 10-11 वर्ष की थी और छठी कक्षा में पढ़ रही थी। अभियोक्त्री की आयु के संबंध में उपरोक्त साक्षियों का साक्ष्य उनके प्रतिपरीक्षण में अकाट्य रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इसके अलावा, अ.सा.-2 श्रीमती कृष्णा वर्मा, प्रभारी प्रधानाध्यापिक, सरकारी कार्यालय में तैनात हैं। प्राथमिक विद्यालय, नामनकला, जिला सरगुजा ने अपने साक्ष्य में कहा है कि 23.06.2018 पर, पीड़ित की जन्म दिनांक से संबंधित रजिस्टर की मांग पर, जो उसके स्कूल में पढ़ रही थी, उसने पीड़िता की जन्म दिनांक से संबंधित दाखिल खरीज रजिस्टर (प्र.**P**-05) की प्रमाणित प्रति दी। पीड़िता की जन्म दिनांक 06.04.2008 के रूप में अभिलिखित की गई है।

13. इस प्रकरण में, अभियोक्त्री का दाखिल- खरीज रजिस्टर संलग्न है जिसमें अभियोक्त्री की जन्म तिथि का उल्लेख 06.04.2008 के रूप में किया गया है और अभियोक्त्री के पिता और माता ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के समय अभियोक्त्री की वर्ष 10-11

वर्ष थी और बचाव पक्ष द्वारा अभियोक्त्री की जन्म दिनांक के बारे में साक्षियों को प्रति-परीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है। अतः उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य और अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर, यह साबित होता है कि घटना के दिनांक अर्थात् 17.06.2018 को, अभियोक्त्री 12 वर्ष से कम उम्र की अप्राप्तवय लड़की थी।

14. विचारार्थ अगला प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी ने पीड़िता के साथ भा.द.वि. की धारा 376 (क)(ख) के तहत दण्डनीय जघन्य कृत्य किया है या नहीं।

15. अभियोक्त्री की मृत्यु के कारण, उसके माता-पिता और भाई का साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संबंध में, अभियोक्त्री (अ.सा.-03) की माता ने अपने साक्ष्य में यह कहते हुए कि वह विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पहचानती है, कहा है कि अभियोक्त्री घटना के समय बहुत बीमार हो गयी थी, जिसके लिए उसका इलाज चल रहा था और घटना के लगभग 06 माह बाद, उसकी पुत्री की 2018 के दिसंबर माह में मृत्यु हो गई। उसने आगे कहा कि घटना दिनांक वह और उसका पति सुबह कार्य पर घर से बाहर गए थे और उसका छोटा पुत्र और अभियोक्त्री घर पर थे। लगभग 11 बजे, उसका छोटा पुत्र आया और उसे बताया कि उस जगह से रक्त बह रहा था जहाँ से अभियोक्त्री पेशाब कर रही थी। जब वह घर वापस आई, तो उसने देखा कि अभियोक्त्री के मूत्र मार्ग में रक्त था। जब उसने पूछा, तो अभियोक्त्री ने बताया कि वह पड़ोसी के बालक के घर खेलने गई थी और उस समय लड़के ने उसके घर पर उसका मुंह दबाकर उसके साथ अनुचित काम किया था। इसके बाद, वह थाना कोतवाली गई और प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इसी तरह, प्रकरण में, दूसरे साक्षी, अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.-01) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को जानते हैं और उपरोक्त कथा की पुष्टि करते हैं जैसा कि अ.सा./3 द्वारा कहा गया है। उसकी पत्नी ने उसे फोन किया और उसे बताया कि अभियोक्त्री का विधि का उल्लंघन करने वाले बालक द्वारा बलात्कार किया गया है और इसलिए अभियोक्त्री को अस्पताल ले जाना है। जब वह घर आया तो

उसकी पत्नी अभियोक्त्री को अस्पताल ले गई थी। अस्पताल पहुंचने पर, उसकी पत्नी ने उसे बताया कि अभियोक्त्री के मूत्र मार्ग से रक्त बह रहा है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब वह अपनी पुत्री को देखने गया तो उसने देखा कि उसके जननांगों से रक्त बह रहा था और वह दर्द की शिकायत कर रही थी।

17. अभियोक्त्री (अ.सा.-01) के पिता ने प्रति-परीक्षण में इन बात से इनकार किया है कि वह केवल वही बता रहा है जो उसने सुना है और खुद कहा है कि उसे अस्पताल में उसकी पत्नी और उसकी पुत्री/अभियोक्त्री ने घटना के बारे में बताया था। इस प्रकार, उक्त साक्षी के पूरे साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसे पहली बार घटना के बारे में तब ज्ञात हुआ जब उसकी पत्नी ने उसे बताया और जब वह अस्पताल गया तो उसने देखा कि अभियोक्त्री के आंतरिक अंगों से रक्त बह रहा था और अभियोक्त्री ने भी उसे घटना के बारे में बताया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. चिकित्सा साक्षी डॉ. स्नेहलता तिर्की (अ.सा.-06) ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने पीड़िता की जांच की और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की, पीड़िता की जांच करने पर उसने पाया कि पीड़िता शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थी। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए, उसकी गौण यौन विशेषताएँ अविकसित थीं। उसकी योनि से रक्त बह रहा था और दर्द मौजूद था और योनि 6 बजे की स्थिति में फट गई थी और योनि से रक्त बह रहा था, रक्त सूख गया था और पूरे अंतर्वस्त्र और पैर के निचले भाग में बह रहा था। योनि फटी हुई थी जो योनि में एक कठोर और कुंद वस्तु को बलपूर्वक डालने के कारण हुई थी।

19. इस साक्षी ने आगे कहा कि अभियोक्त्री संभोग की आदी नहीं थी और तत्काल यौन संभोग के बारे में एक निश्चित मत रासायनिक परीक्षण प्रतिवेदन के बाद ही दी जा सकती है। साक्षी ने यह भी कहा है कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्र.**P**.-12) के अनुसार, यह बताया गया है कि अभियोक्त्री की योनि स्लाइड, पीड़िता और विधि का उल्लंघन करने

वाले बालक के अंडरगारमेंट्स पर मानव शुक्राणु और वीर्य के दाग पाए गए थे। चिकित्सक का साक्ष्य उसके प्रति-परीक्षण में अकाट्य रहा है।

20. उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों की माता, पिता और अन्य साक्षियों ने अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन किया है और मुख्य परीक्षण में किए गए उनके कथन उनके प्रति-परीक्षण में अकाट्य रहे हैं। इसके अलावा, चिकित्सा साक्षी (अ.सा.-06) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियोक्त्री के योनि द्वार से 6 बजे के आकार के छिद्र से रक्त बह रहा था और दर्द मौजूद था और योनि द्वार उस स्थिति में फट गया था और योनि द्वार से रक्त निकल रहा था जो योनि द्वार पर एक कठोर और कुंद वस्तु को जबरन डालने के कारण हुआ था और अभियोक्त्री यौन संभोग की आदी नहीं थी। साक्षी ने परीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि इस प्रकार की क्षति तब हो सकती है जब कोई व्यक्ति बलपूर्वक यौन संबंध बनाता है। इस तरह, पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट भी इस तथ्य का समर्थन करती है कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इस प्रकरण में, अभियोक्त्री का साक्ष्य नहीं लिया जा सका क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी, परन्तु धारा 164 के तहत उसका कथन प्रकरण के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार अभियोक्त्री की साक्ष्य देने की क्षमता की जांच करने के बाद, उसका कथन लिया गया था जिसमें अभियोक्त्री ने घटना के बारे में बताया है। अभियोक्त्री की चिकित्सा रिपोर्ट के अलावा, प्राप्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र.**P**-12 के अनुसार, यह बताया गया है कि अभियोक्त्री की योनि स्लाइड (प्रदर्श **"A"**, पैंटी "**B**" और विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की पैंटी "**C**") पर मानव शुक्राणु और वीर्य के दाग पाए गए हैं। इसके अलावा, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की चिकित्सा रिपोर्ट में उसे यौन संबंध बनाने में सक्षम पाया गया है। इस प्रकार, चिकित्सा रिपोर्ट, एफ.एस.एल. रिपोर्ट और साक्षियों के कथनों के आधार पर यह साबित होता है कि घटना दिनांक को विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने 12 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता पर अपराध कारित किया था।

22. बलात्कार जैसे मामलों में जहां अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम साबित होती है में, पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 कुछ अपराधों के बारे में अनुमान लगाती है और यह निर्धारित करती है कि "जहां किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम की धारा 3,5,7 और 9 के तहत कोई अपराध करने या अपराध करने के लिए उकसाने या करने का प्रयास करने के लिए अभियोग चलाया जाता है, विशेष न्यायालय यह मानेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है या अपराध करने के लिए उकसाया है या करने का प्रयास किया है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।" इसके अलावा, धारा 30 (1) दोषपूर्ण मानसिक स्थिति के अनुमान के बारे में बात करती है और यह विशेष रूप से उपबंधित करती है कि इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए किसी भी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की दोषपूर्ण मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व का अनुमान लगाएगा, परन्तु यह अभियुक्त के लिए इस तथ्य को साबित करना एक बचाव होगा कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की अस्वस्थता का अनुमान लगाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उक्त अनुमान यह भी उपबंधित करता है कि "आम तौर पर अभियोजन पक्ष को अपने प्रकरण को उचित संदेह से परे साबित करना होता है, परन्तु इस विशेष अधिनियम के तहत विधि के साथ संघर्ष में अपराधों के लिए निर्दोष साबित करने का भार विधि का उल्लंघन करने वाले बालक पर डाला गया है।" इस प्रकार, अभियोक्त्री के माता और पिता के साक्ष्य और चिकित्सकीय साक्ष्य बालक के विरूद्ध आरोप को पूरी तरह से साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा ऐसी कोई परिस्थितियाँ सामने नहीं आई हैं जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियोक्त्री किसी अन्य उद्देश्य से आहत हुआ था और अभियोक्त्री ने शत्रुता या किसी अन्य कारण से विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को गलत तरीके से फंसाया है। इसके अलावा, अभियोक्त्री के माता-पिता के साक्ष्य, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत लिए

गए साक्ष्य औरदण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत लिए गए अभियोक्त्री के साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है। यह भी साबित होता है कि अभियोक्त्री की माता ने घटना के बारे में जानने के तुरंत बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। इस प्रकार, यह साबित होता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने घटना के दिनांक, समय और स्थान पर 12 वर्ष से कम वर्ष के अभियोक्त्री की योनि में कुछ हद तक अपनी उंगली डालकर वह अपराध किया है जो भा.द.वि. की धारा 375 और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3 में परिभाषित है।

24. उपरोक्त चर्चा का सार यह है कि अभियोक्त्री के माता और पिता के साक्ष्य और चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर, अभियोजन पक्ष विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरूद्ध आरोप को किसी भी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. यदि पीड़िता और साक्षियों के साक्ष्य भरोसेमंद है, और प्रकरण के अभिलेख में सामने आई परिस्थितियों को समग्र रूप से देखने पर यह पता चलता है कि पीड़िता के पास आरोपी व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई ठोस मकसद नहीं है, तो आम तौर पर न्यायालय को उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

26. यह भी विधि की लगभग तय स्थिति बन गई है कि दोषसिद्धि पीड़िता के एकल कथन पर आधारित हो सकती है, बशर्ते वह न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करे।

27. पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरणों में, एक 'उत्कृष्ट' साक्षी एक ऐसे साक्षी को संदर्भित करता है जिसका अभिसाक्ष्य इस हद तक उच्च गुणवत्ता का है कि न्यायालय अतिरिक्त पुष्टि की आवश्यकता के बिना घटनाओं के उनके संस्करण को स्वीकार कर सकता है। सर्वोच्च न्यालालय ने कई प्रकरणों में कहा है कि पीड़िता का अभिसाक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकता है, यदि वह विश्वसनीय और उत्कृष्ट गुणवत्ता का हो।

28. **राय संदीप उर्फ दीनू बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), 2012 (8) एस. सी. सी. 21** के मामले में सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

"22. हमारी सुविचारित मत में, 'उत्कृष्ट साक्षी' बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए जिसका संस्करण अकाट्य होना चाहिए। ऐसे साक्षी के कथन पर विचार करने वाले न्यायालय को बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उसके मूल रूप में स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे साक्षी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, साक्षी की स्थिति महत्वहीन होगी और ऐसे साक्षी द्वारा किए गए कथन की सच्चाई सुसंगत होगी। जो अधिक सुसंगत होगा वह प्रारंभिक बिंदु से अंत तक कथन की एकरूपता होगा, अर्थात् उस समय जब साक्षी प्रारंभिक कथन करता है और अंततः न्यायालय के समक्ष किया गया कथन। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे साक्षी के कथन में कोई पूर्वधारणा नहीं होनी चाहिए। साक्षी को किसी भी अवधि की प्रतिपरीक्षा का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए और चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों के साथ-साथ उसके अनुक्रम के बारे में किसी भी संदेह के लिए जगह नहीं देनी चाहिए। इस तरह के संस्करण का अन्य सहायक सामग्री जैसे कि की गई बरामदगी, उपयोग किए गए हथियार, किए गए अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ मत के साथ सह-संबंध होना चाहिए। उक्त संस्करण प्रत्येक अन्य साक्षी के संस्करण के साथ लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में लागू किए गए परीक्षण के समान होना चाहिए जहां अभियुक्त को उसके विरूद्ध कथित अपराध का सिद्धदोष करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई गुम कड़ी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं होनी चाहिए। केवल तभी जब ऐसे साक्षी का संस्करण उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ अन्य सभी समान परीक्षणों को लागू करने के योग्य बनाता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे साक्षी को 'उत्कृष्ट साक्षी ' कहा जा सकता है, जिसका संस्करण न्यायालय द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार कियाजा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक संक्षिप्त होने के लिए, अपराध के मूल में उक्त साक्षी का संस्करण बरकरार रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी परिचर सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुओं को सामग्री विवरणों में उक्त संस्करण से मेल खाना चाहिए ताकि अपराध का प्रयास करने वाले न्यायालय को अपराधी को कथित आरोप का दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्री को छानने के लिए मूल संस्करण पर भरोसा करने में सक्षम बनाया जा सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. उपर्युक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा निर्धारित विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के बाद, यह बिना किसी संदेह के अभिलेख पर स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त ने अपनी उंगलियों को जबरन पीड़िता की योनि में कुछ हद तक डाल दिया और पीड़िता के साथ बलात्कार किया। साथ ही पीड़िता की आयु 12 वर्ष से कम निर्धारित की गई है।

30. सुविधा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय अपने सही परिप्रेक्ष्य में और न्याय के हित में किया जाता है, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15, 18 और 21 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया हैः

> <u>धारा 15 (1)</u> किसी जघन्य अपराध की दशा में, जो अभिकथित रूप से किसी ऐसे बालक द्वारा किया गया है, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और वे परिस्थितियां जिनमें अभिकथित रूप से उसने

अपराध किया था, के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा:

परन्तु ऐसे निर्धारण के लिए बोर्ड, अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।

स्पष्टीकरण:-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक निर्धारण कोई विचारण नहीं है बल्कि उस बालक के अभिकथित अपराध के किए जाने और उसके परिणामों को समझने के सामर्थ को निर्धारित करना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) जहां प्रारंभिक निर्धारण करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए तो बोर्ड, यथाशक्य, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन समन मामले के विचारण से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगाः

परन्तु बोर्ड का मामले का निपटारा करने का आदेश उप 101 की उप-धारा (2) के तहत अपीलनीय होगाः

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन निर्धारण, धारा 14 के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

<u>धारा 18 (1)</u> जहां बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि बालक ने, आयु को विचार में लिए बिना कोई छोटा अपराध या कोई घोर अपराध किया है; या सोलह वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है [या सोलह वर्ष से अधिक आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है और बोर्ड ने, धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात्, मामले का निपटारा कर दिया है] तो तत्समय प्रवृत्त किसी

अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी और अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण या मध्यक्षेप की विशिष्ट आवश्यकता ऐसी परिस्थितियों, जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बताई गई हैं और बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड, यदि ऐसा करना ठीक समझता है तो वह, –

(क) बालक को समुचित जांच के पश्चात् और ऐसे बालक तथा उसके माता-पिता या संरक्षक को परामर्श देने के पश्चात् उपदेश या भर्त्सना के पश्चात् घर जाने के लिए अनुज्ञत कर सकेगा;

(ख) बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों के भाग लेने का निर्देश दे सकेगा;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) बालक को किसी संगठन या संस्थान अथवा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए विनिर्दिष्ट व्यक्ति, व्यक्तियों या व्यक्तिय समूह के पर्यवेक्षणाधीन सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा;

(घ) बालक या बालक के माता-पिता या संरक्षक को जुर्माने के संदाय करने का आदेश दे सकेगा;

परन्तु यदि बालक काम कर रहा है, तो यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि तत्समय प्रवृत्त किसी भी श्रम विधि के उपबंधों का उल्लंघन न हो;

(ड.) बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का निदेश, ऐसे माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति द्वारा बालक के सदाचार और उसकी भलाई के लिए बोर्ड की अपेक्षानुसार प्रतिभू

सहित या रहित तीन वर्ष से अनधिक की कालवधि के लिए बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर, दे सकेगा;

(च) बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी उचित सुविधा तंत्र की देखरेख और पर्यवेक्षण में रखने का निदेश तीन वर्ष से अनधिक की कालवधि के लिए दे सकेगा;

(छ) बालक को तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, विशेष गृह में ठहरने की कालवधि के दौरान सुधारात्मक सेवाएं देने के लिए, जिनके अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श देना, व्यवहार उपांतरण चिकित्सा और मनश्चिकित्सीय सहायता भी है, विशेष गृह में भेजने का निदेश दे सकेगा:

परन्तु यदि बालक का आचरण और व्यवहार ऐसा हो गया है जो बालक के हित में या विशेष गृह में रहने वाले अन्य बालकों के हित में नहीं होगा तो बोर्ड, ऐसे बालक को सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) यदि उप-धारा (1) के खंड (क) से (छ) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है तो बोर्ड -

(i) विद्यालय में हाजिर होने; या

(ii) किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में हाजिर होने; या

(iii) किसी चिकित्सा केंद्र में हाजिर होने; या

(iv) किसी निर्दिष्ट स्थान पर बारंबार जाने या हाजिर होने से बालक को प्रतिषिद्ध करने; या

(v) व्यसनमुक्ति कार्यक्रम में भाग लेने,

का अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा।

(3) जहां बोर्ड, धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात् यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक का, वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है वहाँ बोर्ड मामले के विचारण को ऐसे अपराधों के विचारण की अधिकारिता वाले बालक न्यायालय को अंतरित करने का आदेश दे सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 21 विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बिना मृत्यु या आजीवन कारावास का दण्डादेश नहीं दिया जाएगा।

31. विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और साक्षियों के कथनों के संचयी विश्लेषण और धारा 164 के अंतर्गत पीड़िता के कथन पर पूरी तरह से विचार करने पर, हमारा मत है कि विचारण न्यायालय ने प्रकरण के पूरे तथ्यों का उचित विश्लेषण कर अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 376 (क)(ख) के तहत सिद्धदोष किया है।

32. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का गहन विश्लेषण कर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरूद्ध सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपने प्रकरण को साबित

करने में सफल रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि एतद्द्वारा यथावत् रखी जाती है।

33. जहाँ तक दण्ड के भाग का संबंध है, अपीलार्थी, एक विधि का उल्लंघन करने वाला बालक होने के नाते, वर्तमान में अपना दण्ड भुगत रहा है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के उपबंधों, विशेष रूप से धारा 15 और 18 के तहत, कोई बालक जो एक जघन्य अपराध करता है और विचारण के लिए उपयुक्त पाया जाता है, उसे सुरक्षा के स्थान पर अधिकतम तीन वर्ष का दण्डादेश दिया जा सकता है। अपीलार्थी पहले ही अपने दण्डादेश का लगभग दो वर्ष गुजार चुका है। वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, वह तीन वर्ष के दण्ड की अवधि पूरी होने तक अभिरक्षा में रहेगा। इस अवधि को पूरा करने के बाद ही वह रिहाई के लिए पात्र होगा, जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए विधि के पुनर्वास और सुधारात्मक उद्देश्यों का अनुपालन सुनिश्चित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. इस प्रकार, विशेष दाण्डिक प्रकरण सं. 60/2018 का निर्णय करते समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

35. परिणामस्वरूप, प्रस्तुत अपील **खारिज** की जाती है।

36. रजिस्ट्री को इस निर्णय की एक प्रति विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संरक्षक को यह सूचित करते हुए भेजने का निर्देश दिया जाता है कि वे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यालालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यालालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।

37. इस निर्णय की एक प्रति और मूल अभिलेख आवश्यक जानकारी और अनुपालन हेतु अविलंब संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

सही/- **(बिभू दत्त गुरु)** **न्यायाधीश**	सही/- **(रमेश सिन्हा)** **मुख्य न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शीर्ष टिप्पण

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, के उपबंधों, विशेषकर धारा 15 और 18, के अधीन, जघन्य अपराध कारित करने और विचारण के लिए उपयुक्त पाए जाने वाले किसी बालक को सुरक्षित स्थान पर अधिकतम तीन वर्ष की अवधि का दण्डादेश दिया जा सकता है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**